न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 65/2017

1. जसकरणसिंह पुत्र श्री जीतसिंह पौत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी मास्टर कालोनी श्रीगंगानगर।
2. बलकरणसिंह पुत्र श्री जीतसिंह पौत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख निवासी हाल चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1. जीतसिंह पुत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख निवासी हाल चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुखदीपकौर पत्नी श्री बुटासिंह पुत्री श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी फत्तेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मनदीपकौर पत्नी जगरूपसिंह पुत्री श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी फत्तेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजविन्द्र कौर पत्नी हरमीतसिंह पुत्री श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मनदीपकौर पत्नि जगमीतसिंह पुत्री श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत खातेदारी घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल छाबड़ा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री सतविन्द्रसिंह चहल अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.05.2017

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के दादा चणनसिंह पुत्र श्री अतरसिंह के पास तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 63 एवम् 30 में कृषि भूमि थी उक्त भूमि चणनसिंह दादा वादीगण को अपनें पिता अतरसिंह से प्राप्त हुई थी इसलिये उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी एवम् भाईयों मितसिंह व हरनामसिंह के लिये पैतृक सम्पति है। चणनसिंह नें अपनें जीवनकाल में ही अपनी उक्त वर्णित पैतृक सम्पति का विभाजन कर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16 ता 19 एवम् 21 ता 25 की 2.152 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को दी एवम् शेष भूमि मितसिंह व हरनामसिंह को दी। उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 5 स्वीकृत हुआ जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

उक्तानुसार प्रतिवादी को तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16 ता 19 एवम् 21 ता 25 की कुल 2.152 हैक्टर कृषि भूमि अपनें पिता चणनसिंह से प्राप्त हुई इसलिये उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि की परिभाषा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

में आती है जो कि वादीगण की संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है।

प्रतिवादी को अपनें पिता से प्राप्त चक 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 63 की 7 बीघा भूमि का वर्ष 1990 में बेचान कर तहसील व जिला हनुमानगढ़ के चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पटवार हल्का बनवाला के खाता संख्या 34 के पत्थर नम्बर 51/221 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.744 हैक्टर, मुश्तर्का खाता संख्या 32 के पत्थर नम्बर 51/221 मुरब्बा नम्बर 6 तथा पत्थर नम्बर 50/221 के मुरब्बा नम्बर 7 कि कुल 3.745 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.847 हैक्टर तथा मुश्तर्का खाता संख्या 33 के पत्थर नम्बर 50/222 मुरब्बा नम्बर 8, पत्थर नम्बर 51/22 के मुरब्बा नम्बर 9, पत्थर नम्बर 51/223 मुरब्बा नम्बर 15, पत्थर नम्बर 48/224 मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 49/224 मुरब्बा नम्बर 20 के कुल तादादी 10.905 हैक्टर में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि का परस्पर सहमति से घरू तौर पर बंटवारा अर्सा पूर्व सन् 2000 में ही कर लिया तथा घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी के हक व हिस्सा में निम्न प्रकार से पैतृक कृषि भूमि में से भूमि आई :–

वादी संख्या 1 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 18/.190, 19 सालम, 21/.228, 22/.228, 23/.177 हैक्टर कुल 1.076 हैक्टर।

वादी संख्या 2 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/.253, 17/.253, 18/.063, 23/.051, 24/.228, 28/.228, कुल 1.076 हैक्टर।

प्रतिवादी के हिस्सा में :– तहसील व जिला हनुमानगढ़ के चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पटवार हल्का बनवाला के खाता संख्या 34 के पत्थर नम्बर 51/221 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.744 हैक्टर, मुश्तर्का खाता संख्या 32 के पत्थर नम्बर 51/221 मुरब्बा नम्बर 6 तथा पत्थर नम्बर 50/221 के मुरब्बा नम्बर 7 कि कुल 3.745 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.847 हैक्टर तथा मुश्तर्का खाता संख्या 33 के पत्थर नम्बर 50/222 मुरब्बा नम्बर 8, पत्थर नम्बर 51/22 के मुरब्बा नम्बर 9, पत्थर नम्बर 51/223 मुरब्बा नम्बर 15, पत्थर नम्बर 48/224 मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 49/224 मुरब्बा नम्बर 20 के कुल तादादी 10.905 हैक्टर में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि

अर्सा सन् 2000 से पूर्व से वादीगण एवम् प्रतिवादी उपरोक्तानुसार पैतृक कृषि भूमि का घरू बंटवारा कर अपनें अपनें हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त का रहे है एवम् राज्य सरकार को लगान इत्यादि अदाकर मामला आबयाना अदा कर रहे है वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य उक्त बंटवारा सन् 2000 में ही हो गया एवम् भूमि पैतृक होनें के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है उन्हे औपचारिक पक्षकार वाद में बनाया गया है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादीगण के हिस्सा में पैतृक कृषि भूमि में से चक 2 ई छोटी की कृषि भूमि आई एवम प्रतिवादी के हिस्सा में पैतृक भूमि चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ की भूमि आई एवम् उक्तानुसार ही वादी एवम् प्रतिवादी काबिज काश्त है एवम् चक 28 एल.एल. डब्लयू. तहसील हनुमानगढ़ की भूमि पूर्वोतर प्रतिवादी के नाम से है।

वादीगण के द्वारा कई मरतबा प्रतिवादी को निवेदन किया कि पैतृक कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 3 व 4 में वर्णित है का घरू बंटवारा अनुसार एवम् वादीगण के अधिकारों को मध्यनजर रखते हुए जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर पैतृक कृषि भूमि में वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर वादीगण को खातेदार मान लेवें एवम् प्रतिवादी अपना नाम पैतृक कृषि भूमि में अपनें हिस्सा तक सीमित दर्ज करवाकर वादीगण को खातेदार मानकर इन्द्रात राजस्व रिकार्ड में करवा देवें। प्रतिवादी वादीगण के इस अनुनय निवेदन पर पूर्व में आजकल कह कर टालता रहा एवम् अन्ततः दिनांक 15.04.2017 को बमुकाम श्रीगंगानगर में ऐसा करनें से स्पष्ट इन्कार कर दिया राजस्व कर्मचारियों को पैतृक कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण के नाम से बतौर कोपासनर इन्द्राज का कहे जानें पर माननीय न्यायालय से आदेश लाये जानें का कहे जानें पर वादीगण को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतुक हासिल हुआ है।

अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री अधिकारों की घोषणा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी पारित की जाकर घोषणा की जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही निम्न प्रकार से हक व हिस्सा है तथा निम्नानुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावे :–

   वादी संख्या 1 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 18/.190, 19 सालम, 21/.228, 22/.228, 23/.177 हैक्टर कुल 1.076 हैक्टर।

   वादी संख्या 2 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/.253, 17/.253, 18/.063, 23/.051, 24/.228, 28/.228, कुल 1.076 हैक्टर।

2. अन्य कोई दादरसी करीनें इन्साफ मुफीद वादीगण हो अता फरमाई जावे।
3. वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से श्री सतविन्द्र सिंह चील अधिवक्ता उपस्थित आये और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाल जबाब दावा पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की और से जबाब पेश नहीं करनें का कथन किया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा होनें पर राजीनामा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री सतविन्द्रसिंह चहल अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राजीनामा के अन्तर्गत कथन किया कि वादीगण एवम् प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का परस्पर सहमती से घरू तौर पर बंटवारा अर्सा पूर्व सन् 200 में ही कर लिया था एवम् घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी के हक व हिस्सा में निम्न प्रकार से पैतृक भूमि आई है :–

वादी संख्या 1 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 18/.190, 19 सालम, 21/.228, 22/.228, 23/.177 हैक्टर कुल 1.076 हैक्टर।

वादी संख्या 2 के हिस्सा में :– तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 32/28 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/.253, 17/.253, 18/.063, 23/.051, 24/.228, 28/.228, कुल 1.076 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 1 जीतसिंह के हिस्सा में :– चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पटवार हल्का बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ की कृषि भूमि।

उपरोतक्तानुसार भूमि वादीगण के नाम से दर्ज किये जानें में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज अथवा उज्र नहीं है। हनुमानगढ़ जिला की भूमि पूर्ण से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि चक तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16 ता 19 एवम् 21 ता 25 की कुल 2.152 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का भी हक हिस्सा है।

वादीगण द्वारा अपनें वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अनुतोष चाहा है परन्तु वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष में किला विशेष की खातेदारी चाही गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ही दी जा सकती है वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत अनुतोष चाहा जाता तो राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो वादी द्वारा नहीं बनाया गया है। इस कारण वादीगण को किला विशेष का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी राजीनामा अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16 ता 19 एवम् 21 ता 25 की कुल 2.152 हैक्टर कृषि भूमि में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 जीतसिंह पुत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख साकिन देह का नाम कलमजन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी संख्या 1 जसकरणसिंह पुत्र श्री जीतसिंह

लगातार 5

A8/5

पौत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी मास्टर कालोनी श्रीगंगानगर तथा वादी संख्या 2 बलकरणसिंह पुत्र श्री जीतसिंह पौत्र श्री चणनसिंह जाति जटसिख निवासी हाल चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 13 जी छोटी में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर